

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
26 DEC 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056169

(66)

जरिये प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को अधिकार देते हैं व
अधिकृत करते हैं कि द्वितीय पक्ष अकेले अपने हस्ताक्षर से

Objj

Anita Bajaj

For Rudra Realtech (P) Ltd

Anita Bajaj
Director



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056168

(67)

अपने अंश 72% मय आनुपातिक अंश भूमि को अपने
मनमुताबिक क्रेतागण को विक्रय करे, उसकी बाध्यता प्रथम

PKJ


Anita Bajaj


For Rudra Realtech (P) L.d

A. S. ...
Director



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

26 DEC 2004

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056167

(68)

पक्ष पर भी होगी, उसके सम्बन्ध में प्रथम पक्ष कभी भी कोई एतराज नहीं करेगा।

[Handwritten signature]

Anita Bajaj



For Rudra Realtech (P) L.d

[Handwritten signature]
Director





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056166

(69)

8. यह कि द्वितीय पक्ष सम्पूर्ण इमारत में एक समान रूप से समान गुणवत्ता व मानक के अनुसार सामान लगायेंगे और वह सभी सामान की क्वालिटी जो 72% बिल्डर्स के अंश में

[Signature]

Anita Bajoraj



For Rudra Realtech (P) L.

[Signature]

Director



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs. *kr*
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
26 DEC 2012

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056203

(70)

लगाया जायेगा वही सामान प्रथम पक्ष के अंश में भी
लगाया जायेगा।

PRJ

Anita Bajaj



For Rudra Realtech (P) Ltd

A. Anand
Director





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056202

(71)

9. यह कि द्वितीय पक्ष मानचित्र स्वीकृत होने से 4 साल (चार साल) के अन्दर सम्पूर्ण निर्माण पूरा कर लेगा और यदि उक्त अवधि के अन्दर सम्पूर्ण निर्माण पूरा नहीं हो पाता, तो

Prj

Anita Bajaj

For Rudra Realtech (P) L.d

Anita Bajaj
Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056201

(72)

प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को 6(छः) माह का अतिरिक्त समय
और देगा, परन्तु यदि किसी नोटिस या मुकदमा या
नोटिफिकेशन सरकारी या अर्द्ध-सरकारी नोटिस के व्यवधान

Prj Anita Bajaj



Fcr Rudra Realtech (P) Ltd

A. S. ...
Director





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056200

(73)

के कारण अथवा किसी दैवी आपदा के कारण अथवा भूकम्प, बाढ़, राशनिंग आदि के कारण अथवा कर्फ्यू आदि के कारण कार्य में रुकावट आता है तो उक्त रुकावट की

PRJ

Anita Bajaj

Fcr Rudra Realtech (P) L.d

Anita Bajaj
Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056199

(74)

अवधि का समय अतिरिक्त समय के रूप में द्वितीय पक्ष को अतिरिक्त प्राप्त होगा, परन्तु उसके बाद भी यदि द्वितीय पक्ष कार्य को पूरा नहीं कर पाता है या कार्य करने में

PRJ

Anita Bajaj

For Rudra Realtech (P) L.

Anand
Director



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs. ¹¹⁶
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
26 DEC 2012

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056198

(75)

विलम्ब करता है तो वह मु0 20,000/- रुपया (बीस हजार रुपया) प्रति माह हर्जाने के रूप में प्रथम पक्ष को देने के लिए जिम्मेदार होगा। विलम्ब की अधिकतम सीमा

PRJ


Anita Bajaj


For Rudra Realtech (P) Ltd
A. S. S. S.
Director





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056197

(76)

12 माह यानी एक वर्ष होगी। यदि उक्त समय के बाद भी निर्माण-कार्य पूर्ण नहीं होता है तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है।

PRij


Anita Bayaj


For Rudra Realtech (P) L.d

A. S. S. S.
Director



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
26 DEC 2012

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056196

(77)

10. यह कि यदि कार्य के दौरान स्वामित्व सम्बन्धी दोष के कारण किसी प्रकार कार्य में रुकावट उत्पन्न किया जाता है तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी, परन्तु








For Rudra Realtech (P) L.
Directo



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056195

(78)

यदि प्रथम पक्ष उसे नहीं सुलझा पाता या उसमें धन की आवश्यकता पड़ती है और वह प्रथम पक्ष नहीं दे पाता है तो उक्त धन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष करेगा और वह धन

Prjij

Anita Bajaj

For Rudra Realtech (P) Ltd

Anita Bajaj
Director



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
26 DEC 2012

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056194

(79)

प्रथम पक्ष की तरफ से द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की जानकारी में खर्च करेगा और उक्त धन का भुगतान करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी और यदि प्रथम पक्ष द्वितीय



Anita Bajaj



For Rudra Realtech (P) Ltd

Director



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056193

(80)

पक्ष को उसके किये गये खर्च को नहीं देता है तो द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के अंश के फलैट में उक्त रुपया मोजरा कर लेगा।

PRJ

Arifa Rajay

Fcr Rudra Realtech (P) L.d

Arifa Rajay
Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056192

(81)

11. यह कि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त पक्षगण के लाभान्वित होने के उद्देश्य से यदि अतिरिक्त निर्माण द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाता है और यदि उक्त उद्देश्य के लिये परचेजेबुल

PKJ

Arjita Bajaj

Fcr Rudra Realtech (P) L.d

Arjita Bajaj
Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056131

(82)

एफ.ए.आर. क्रय किया जाता है तो उस सूत में क्रय मूल्य व शमन शुल्क द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगा और निर्माण की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी और उक्त निर्माण में भी

PRjj

Anita Bajaj

For Rudra Realtech (P) L.

Anita Bajaj
Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056132

(83)

प्रथम पक्ष 28 प्रतिशत व द्वितीय पक्ष 72 प्रतिशत अंश
प्राप्त करेंगे।

PRJ


Anita Bajaj


For Rudra Realtech (P) L.

Arvind
Director





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056133

(84)

12. यह कि द्वितीय पक्ष प्रचार व प्रसार के लिए भूमि पर अपना साइनबोर्ड कायम करेगा, उसमें अवरोध उत्पन्न करने का अधिकार प्रथम पक्ष को नहीं होगा।

PRJ



Anita Bajaj



For Rudra Realtech (P) Ltd

Anita Bajaj
Director



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

26 DEC 2012

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056134

(85)

13. यह कि प्रथम पक्ष ने आज द्वितीय पक्ष को जमीन मजकूर पर कब्जा दखल करा दिया और द्वितीय पक्ष बहैसियत बिल्डर/डेवलपर जमीन पर काबिज होकर निर्माण कार्य करे,

PRJ



Anita Rajay



For Rudra Realtech (P) L.d

Anita Rajay

Director



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056135

(86)

उसमें अवरोध उत्पन्न करने का अधिकार प्रथम पक्ष को न होगा।

[Handwritten signature]



Anita Bajaj



For Rudra Realtech (P) Ltd

[Handwritten signature]
Director





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056136

(87)

14. यह कि निर्माण कार्य के दौरान कोई दुर्घटना होती है उसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। प्रथम पक्ष से कोई मतलब सरोकार नहीं होगा।

[Handwritten signature]

Amita Bajaj

For Rudra Realtech (P) L.d

[Handwritten signature]

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

28 DEC 2012

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056137

(88)

15. यह कि प्रथम पक्ष/भू-स्वामीगण निर्मित क्षेत्र के 28% व द्वितीय पक्ष/विकासकर्ता 72% के अपने-अपने अंश पर जो भी कर, भवन कर, जलकर, सीवर कर, विद्युत कर,

[Signature]

Amita Bajaj

For Rudra Realtech (P) L.

[Signature]
Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 056138

(89)

आयकर, सेवाकर, सम्पदाकर, आदि जो भी कर केन्द्र
सरकार अथवा प्रांतीय सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा
आरोपित है अथवा आरोपित किया जायेगा उसे उक्त अनुपात

Prij

Anisha Bajaj

For Rudra Realtech (P) L.

A. Sankar
Director

